

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को
आबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण

1. प्रार्थी ग्राम पंचायत का नाम
2. आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण
 - (1) नाम तहसील
 - (2) नाम ग्राम
 - (3) खसरा नम्बर
 - (4) किस्म भूमि
 - (5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
 - (6) प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)
 - (7) जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है जी हां/नहीं
 - (8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं जी हां/नहीं
 - (9) पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें। संलग्न है/नहीं है
3. यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो—
 - (1) पशु संख्या
 - (2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम में
उपलब्ध चरागाह भूमि
 - (3) क्या पशु संख्या के अनुपात में चरागाह भूमि पर्याप्त है
 - (4) यदि नहीं तो चरागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है।
4. प्रस्तावित भूमि को आबादी के लिये उपयुक्त पर टिप्पणी
5. विभागीय निर्देश दिनांक 20-10-83 के तहत आवश्यक सूचना—
 - (1) ग्राम की जनसंख्या
 - (2) निवास हेतु भूमि आवश्यकता (एकड़ में)
(जनसंख्या में 35 का भाग देकर गणना की जाये)
 - (3) विषयान्तर्गत निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु
आवश्यक क्षेत्रफल (1,000 तक की जनसंख्या के लिये 10
एकड़ अगले प्रति एक हजार या उसके भाग के लिये पांच
एकड़ की आधार पर)
 - (4) कुल वांछित आबादी का क्षेत्रफल
 - (5) वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल
 - (6) यदि निर्धारित मानदण्ड से अधिक आबादी भूमि
प्रस्तावित की गई है तो कारण स्पष्ट किये जायें।
 - (7) क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है
 - (8) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के द्वारा कितने
क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है।
 - (9) यदि अतिक्रमण का नियमन प्रस्तावित है, तो किन शर्तों पर
 - (10) क्या अतिक्रमण का नियमन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया
जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों?
 - (11) जिला कलेक्टर की राय

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर